**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1519**

**दिनांक 25.07.2017/3 श्रावण, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**सी.ए.पी.एफ. कर्मियों को सुविधाएं**

**1519. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) सीमाओं पर तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) के कर्मियों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;**

**(ख) क्या सरकार का ऐसे कर्मियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या सरकार ने सीमा पर कार्यरत ऐसे कर्मियों को सुविधाओं की कमी के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(घ) क्या सरकार की जानकारी में यह आया है कि उनके द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों के बारे में बताने के पश्चात् ऐसे कर्मी मृत पाए गए;**

**(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और**

**(च) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ग): सीमाओं पर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों को कुक हाउस, डाइनिंग हॉल और शौचालय ब्लॉकों सहित रहने के लिए बैरक उपलब्ध कराए जाते हैं। कठिन इलाकों में, सेंट्रल हीटिंग एवं फ्रीज प्रूफ शौचालयों के साथ एकीकृत कम्पोजिट भवन मुहैया कराए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में तैनात सीएपीएफ कार्मिक विभिन्न भत्तों के हकदार होते हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जोखिम एवं कठिनाई भत्ता शामिल होता है। सीमाओं पर तैनात कार्मिकों को चिकित्सा सुविधाएं हवाई कुरियर सेवा, कुछ प्रमुख ट्रेनों में अलग से रेल कोच, केंद्रीय पुलिस कैंटीन, मनोरंजन एवं ट्रांजिट कैंप की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सीमाओं पर तैनात सीएपीएफ कार्मिकों सहित सीएपीएफ कार्मिकों की रहन-सहन की दशा को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए समुचित बजटीय प्रावधान भी किए जाते हैं।

(घ) से (च): सीएपीएफ द्वारा इस तरह का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

---